

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, फर्रुखाबाद।

पत्रांक 1601 / 14-1, फर्रुखाबाद: दिनांक: दिसम्बर, 15 / 2021

सेवा में,

श्री संजय आनन्द
टेरीटरी प्रबन्धक—(रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०
बरेली — 243122

विषय:-

जनपद फर्रुखाबाद के अन्तर्गत एटा-कायमगंज-फर्रुखाबाद मार्ग की दांयी पटरी पर किमी० नं०-100(730) के मध्य ग्राम-खारबन्दी भीकमपुर के खसरा सं०-659, 660क, 666ख में भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० बरेली द्वारा प्रस्तावित नये पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.059033 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन/ट्रान्सप्लांट की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ का पत्रांक-8बी/यू.पी./06/255/2021/एफ०सी०/563 दिनांक 07.12.2021, मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक-11सी-1738/FP/UP/Approach/147884/2021 13.12.2021 एवं मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर का पत्रांक-1930/14-1 दिनांक 14.12.2021

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा जनपद फर्रुखाबाद के अन्तर्गत एटा-कायमगंज-फर्रुखाबाद मार्ग की दांयी पटरी पर किमी० नं०-100(730) के मध्य ग्राम-खारबन्दी भीकमपुर के खसरा सं०-659, 660क, 666ख में भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० बरेली द्वारा प्रस्तावित नये पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.059033 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन/ट्रान्सप्लांट की अनुमति हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति कतिपय शर्तों के अधीन दी गई है। उक्त संदर्भित पत्र में दी गयी शर्तों के अनुपालन एवं निर्देशों के क्रम में आपसे निम्नानुसार धनराशि एवं शर्तों सम्बन्धी कार्यवाही करने की मांग की जाती है।

1. शर्त संख्या- 1 के अनुपालन में इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि "The Legal status of the forest land shall remain unchanged".
2. शर्त संख्या- 2 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाये कि- "Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department for plantation of 100 trees in (Mamrezpur Forest Block, Farrukhabad Range, District-Farrukhabad) at the cost of User Agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of species has to be avoided."
3. शर्त संख्या- 3 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रु-179854.00 (एक लाख उन्नासी हजार आठ सौ चउवन मात्र) प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय में ऑनलाइन ई-पोर्टल के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा कर Online Payment History की प्रति उपलब्ध कराये।
4. शर्त संख्या- 4 के क्रम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत एवं निर्धारित दरों के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 में पारित आदेश दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5-1/1998-एफ०सी० (Pt.II) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ०सी० दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3 / 2007 - एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये निर्देशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की धनराशि 6,26,000/- की दर से $0.059033 \times 6,26,000 = 36955.00$ (छत्तीस हजार नौ सौ पचपन मात्र) प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund, Management and Planning Authority) में ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से जमा कर Online Payment History की प्रति उपलब्ध कराये।
5. शर्त संख्या- 5 के अनुपालन में इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि "Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect."

6. शर्त संख्या- 6 के अनुपालन में इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि "The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector."
7. शर्त संख्या- 7 के अनुपालन में इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि "Greenery will be maintained by the user agency around the Periphery of petrol pump".
8. शर्त संख्या- 8 के अनुपालन में इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि "User agency shall use the land between entry and exit of petrol pump (156.00 m2) for plantation and conservation of trees, the same shall be demarcated by 2 feet wall."
9. शर्त संख्या- 9 के अनुपालन में इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि "Plantation shall also be done along the inside boundary of Fuel Station".
10. शर्त संख्या- 10 के अनुपालन में इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि "No Violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided."
11. शर्त संख्या- 11 के अनुपालन में इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि "Certificate of DFO certifying that the proposed RO is not in close proximate of any existing RO in accordance with MORTH guidelines dated 24-07-2013 has to be provided."
12. शर्त संख्या- 12 के अनुपालन में इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि "The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer."
13. शर्त संख्या- 13 के अनुपालन में इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि "The Period of diversion shall be co-terminus with period of lease to be granted in favour of user agency or the project life, whichever is less."
14. शर्त संख्या- 14 के अनुपालन में इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि "The KML file of the area to be diverted the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP shall be uploaded on the e-green watch portal with all requisite details, before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be."
15. शर्त संख्या- 15 के अनुपालन में इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि "Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Changes may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife."
16. शर्त संख्या- 16 के अनुपालन में इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि "All the funds received from the user agency under the project shall be transferred /deposited to CAMPA fund only through e-portal (<https://parivesh.nic.in/>)."
17. शर्त संख्या- 17 के अनुपालन में इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि "The compliance report shall be uploaded on e-portal (<https://parivesh.nic.in/>)"

उपरोक्त क्रम में भारत सरकार के सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या 8बी/यू.पी./06/255/2021/एफओसी0/563 दिनांक 07.12.2021 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो आपको भी पृष्ठांकित है, में दी गयी शर्तों का अक्षरशः अनुपालन किया जाये। अतः उपरोक्त शर्तों की परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट अनुपालन आख्या एवं Online Payment History की प्रति पृथक-पृथक 05 प्रतियों में मूल हस्ताक्षर सहित उपलब्ध कराये।

(पी0के0उपाध्याय)

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी प्रभाग, फर्रुखाबाद।

पत्रांक / दिनांकित।

प्रतिलिपि:- मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(पी0के0उपाध्याय)

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी प्रभाग, फर्रुखाबाद।